पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक विविध वाद संख्या 39115

थाना कांड संख्या-35 वर्ष-2015, थाना- मोकामा, जिला- पटना से उत्पन्न

==

1. नेहा कुमारी, पति-अमित कुमार
2. अमित कुमार, पुत्र-श्री धर्मेन्द्र सिंह,

दोनों निवासी गांव- मरांची, थाना- मरांची, जिला- पटना

..........याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. गौरी कुमारी, पुत्री -वेदानंद चौधरी, ग्राम निवासी थाना- परता, जिला खगड़िया।

...........विपरीत पक्षों

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री विजय कुमार, अधिवक्ता
		श्री मुरारी नारायण चौधरी, अधिवक्ता
		श्री ब्रह्मानंद कुमार, अधिवक्ता
		श्री अनिकेत कुमार, अधिवक्ता
विपरीतपक्ष/ओं के लिए	:	डॉ. अजीत कुमार, ए.पी.पी

==

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 498-ए, 323 और 504/34*

• दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4

संदर्भित मामले:

• अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1083 में रिपोर्ट किया गया

आवेदन - जेएम द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323 और 504/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है।

माना गया - याचिकाकर्ता विवाहित ननद हैं, ननद के पति हैं जो इस घटना से बहुत पहले से अलग रह रहे हैं - ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप की प्रकृति बहुत सामान्य और सर्वव्यापी है, इसलिए, शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए। - इसलिए संज्ञान का आदेश रद्द किया जाता है। (पैरा 10)

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

समक्षः: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक : 18-04-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एपीपी को सुना गया।

2. यह आवेदन मोकामा थाना कांड संख्या 35/2015/जी.आर. संख्या 374/2015 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी - प्रथम श्रेणी, बाढ़ (पटना) द्वारा पारित दिनांक 11.02.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323

और 504/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचक ने आरोप लगाया है कि वह खगड़िया जिले के परबत्ता की रहने वाली है और उसकी शादी 6 जुलाई 2014 को सुमित साकरित्यन नामक व्यक्ति से हुई थी और चार दिन बाद वह अपने पिता के साथ मायके लौट आई थी। उसने आगे आरोप लगाया कि उसके पिता ने दुर्गा पूजा के समय उसके ससुराल वालों से उसके 'दुर्गमन' के लिए कहा, लेकिन वे उसकी 'बिदाई' के लिए 5 लाख रुपये नकद लेने पर अड़े रहे। हालाँकि, सूचक के पिता ने अनुरोध किया कि अब वह कोई और मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह अपनी क्षमता के अनुसार पहले ही भुगतान कर चुके हैं लेकिन उसके ससुराल वालों ने उनके अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। उसने आगे आरोप लगाया कि घटना की तारीख यानी 4 मार्च 2015 को जब वह अपने पिता के साथ अपने पति के घर पहुंची तो उसके ससुराल के सभी सदस्य घर से बाहर आ गए और गंदी-गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगे और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इस घटना को कई लोगों ने देखा।

4. आरोपों की उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, मोकामा पी.एस. कांड संख्या 35/2015, जी.आर. संख्या 374/2015 आरोपी व्यक्तियों-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323, 504/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 34 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था, जहां जांच पूरी होने के बाद, ऊपर वर्णित धाराओं के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और तदनुसार, विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त धाराओं के लिए संज्ञान भी लिया गया था, जो वर्तमान याचिका के उद्देश्य के लिए आरोपित आदेश है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 विवाहित भाभी है और याचिकाकर्ता संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 1 का पति है, जो इस घटना से बहुत पहले से अलग रह रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 की शादी विपरीत पक्ष संख्या 2 के अपने भाई सुमित सकारित्यन के साथ विवाह से बहुत पहले ही हो चुकी थी। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी के विवरण के माध्यम से उपलब्ध आरोप बहुत ही सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं और *प्रथम दृष्टया* ऐसा प्रतीत होता है कि उनका निहितार्थ केवल परेशान करने वाले रवैये से संबंधित है, जहां मकसद छिपा हुआ और परोक्ष प्रतीत होता है।

6. उपरोक्त तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वर्तमान कार्यवाही रद्द करने और अलग रखने योग्य है। अपने प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1083** में रिपोर्ट की गई थी।

7. दिनांक 03.04.2024 की कार्यालय रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विपक्षी संख्या 2 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया गया था, लेकिन वह वर्तमान कार्यवाही में शामिल होने में विफल रही।

8. राज्य के विद्वान एपीपी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि प्राथमिकी के वर्णन के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ क्रूरता और दहेज की मांग करने के आरोप उपलब्ध हैं।

9. **अभिषेक** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा 13, 14, 15, 16 और 17 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार हैं:-

> "**13.** वैवाहिक विवादों के बीच पति के परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के उदाहरण न तो दुर्लभ हैं और न ही हाल ही में हुए हैं। इस संबंध में कई मिसालें हैं। अब हम विशेष रूप से प्रासंगिक कुछ निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं। हाल ही में, ***कहकशां कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य [(2022) 6 एससीसी 599]*** में, इस न्यायालय को एक ऐसी ही स्थिति से निपटने का अवसर मिला, जहां उच्च न्यायालय ने धारा 498 ए आईपीसी सहित विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह देखते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके निर्धारण की आवश्यकता थी, वह यह था कि क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य आरोप थे जिन्हें खारिज किया जा सकता है, इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों का हवाला दिया जिसमें धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया कि पत्नी द्वारा ससुराल वालों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे और यह माना गया कि ससुराल वालों के खिलाफ स्पष्ट आरोपों की अनुपस्थिति में उनके अभियोजन की अनुमति देने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह भी नोट किया गया कि एक आपराधिक मुकदमा, जो अंततः बरी होने की ओर ले जाता है, आरोपी पर गंभीर घाव देगा और इस तरह के अभ्यास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
>
> 14. ***प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य[(2010) 7 एससीसी 667]*** में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि धारा 498 आईपीसी के तहत दायर शिकायतों में पति और उसके सभी करीबी रिश्तेदारों को फंसाने की

प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। यह देखा गया कि न्यायालयों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पति के करीबी रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न के आरोप, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस जगह नहीं गए या शायद ही कभी गए, जहां शिकायतकर्ता रहती थी, एक पूरी तरह से अलग रंग जोड़ देंगे और ऐसे आरोपों की बहुत सावधानी और सावधानी से जांच करनी होगी।

15. इससे पहले, ***नीलू चोपड़ा बनाम भारती [(2009) 10 एससीसी 184]*** में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि शिकायत दर्ज करने के लिए केवल वैधानिक प्रावधानों और उनकी भाषा का उल्लेख करना ही मामले का 'सबकुछ' नहीं है, क्योंकि न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विवरण और उस अपराध को करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका की जानकारी होना आवश्यक है। ये टिप्पणियाँ धारा 498ए आईपीसी से जुडे एक वैवाहिक विवाद के संदर्भ में की गई थीं।

16. हाल ही में इस न्यायालय द्वारा ***महमूद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** *(आपराधिक अपील संख्या 2341/2023, दिनांक 08.08.2023 को निर्णीत)* में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में लागू कानूनी सिद्धांतों पर दिया गया निर्णय अधिक प्रासंगिक है। इसमें यह माना गया कि जब कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त कराने के लिए आता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या कष्टकारी है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को ध्यानपूर्वक और थोड़ा अधिक बारीकी से देखे। यह भी कहा गया कि न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं, क्योंकि तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ पंक्तियों के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करे।

17. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य [(1992) सप (1) एससीसी 335] में, इस न्यायालय ने, उदाहरण के तौर पर, उन मामलों की व्यापक श्रेणियाँ निर्धारित की थीं जिनमें धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। निर्णय का पैरा 102 इस प्रकार है:

'**102.** संहिता के अध्याय XIV के अंतर्गत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से सुसंचालित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में लगाए गए आरोप, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का

> खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय मामला बनाते हैं।
>
> (4) जहां प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।
>
> (5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।
>
> (6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।
>
> (7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना शामिल है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।"

10. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक प्रस्तुतीकरणों के मद्देनजर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता संख्या 1 विवाहित भाभी है तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 1 का पति है, जो इस घटना से काफी पहले से अलग-अलग रह रहे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 का विवाह विपक्षी संख्या 2 के विवाह

से काफी पहले याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ संपन्न हुआ था। यह भी प्रतीत होता है कि आरोप/अभियोग की प्रकृति याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध बहुत सामान्य एवं सर्वव्यापी है, अतः **अभिषेक** (उपरोक्त) के मामले में चर्चित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मोकामा थाना मामला संख्या 35/2015/जी.आर. संख्या-374/2015 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी- प्रथम श्रेणी, बाढ़ (पटना) द्वारा याचिकाकर्ताओं के संबंध में पारित दिनांक 11.02.2016 के आक्षेपित आदेश को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

11. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

(चन्द्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।